राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

क्रमांक ःपत्र पंजीयन /2018 जयपुर, दिनांकः 06.01.2018

समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक/
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय
....

विषय : केशलैस मेडिक्लेम बीमा के आवेदन पत्रों की कमी पूर्तियां हेतु दस्तावेज प्राप्त करने के लिए शिविर लगाने बाबत्।

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2017–2018 के अनुसार अधिस्वीकृत पत्रकारों को केशलैस मेडिक्लेम बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय में आप के जिले के अधिस्वीकृत पत्रकारों के केशलैस मेडिक्लेम बीमा की सुविधा के लिए आवेदन पत्र भिजवाए गए हैं।

अधिस्वीकृत पत्रकारों की सुविधा के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर कमी पूर्तियां कराने हेतु विभाग के मुख्यालय की पत्र पंजीयन शाखा तथा समस्त जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालयों में 8 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक एक माह की अवधि में राजकीय कार्य दिवसों में शिविर लगायें जाएगें।

आप को निर्देश दिए जाते है कि उक्त अवधि में शिविर लगाया जा कर जिन आवेदनकर्ता पत्रकारों द्वारा केशलैस मेडिक्लेम बीमा सम्बधी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किए है, उनसे केशलैस मेडिक्लेम बीमा सम्बधी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करे। शिविर में शेष रहे अधिस्वीकृत पत्रकारों के केशलैस मेडिक्लेम बीमा सुविधा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ निदेशालय में भिजवाएं। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

उपनिदेशक (पंजीयन)
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय
जयपुर (राजस्थान)

संलग्नः–
1. निर्धारित प्रपत्र ।
2. आवेदनकर्ता अधिस्वीकृत पत्रकारों की सूची।

परिशिष्ट–क

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय

क्र. सं.	पत्रकार/आश्रित का नाम	अधिस्वीकरण कार्ड संख्या	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम एवं पदस्थापन का स्थान	वर्तमान पता	स्थाई पता	जन्म तिथि	आयु	आश्रित का पत्रकार से संबंध	वार्षिक आय	वर्तमान में किसी बिमारी से ग्रसित है अथवा नहीं	यदि बिमार है तो बिमारी की अवधि
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											

विशेष नोटः–

1. 21 वर्ष से कम आयु के दो बच्चें मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के लिए पात्र होगें।
2. माता–पिता जिनकी आय 2000/– रूपये प्रमिमाह से कम हो तथा वे संबंधित पत्रकार पर आश्रित हो, मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के लिए पात्र होगें।
3. संबंधित पत्रकार द्वारा आश्रितों की जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. वर्तमान/स्थाई पते संबंधी फोटो आई.डी. प्रस्तुत करनी होगी।
5. पत्रकार स्वयं एवं आश्रितों का वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
6. बिमारी की स्थिति में संबंधित डॉक्टर का प्रमाण पत्र।
7. पत्रकार स्वयं की ई–मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर भी अंकित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाएं सही है एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि/असत्य के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं।

स्थानः–

दिनांकः–

हस्ताक्षर
(पत्रकार का नाम)
अधिस्वीकरण कार्ड संख्या